

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 19/2024 (2024/76)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भीयाराम पुत्र बलुराम विश्नोई निवासी गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जोधपुर हाल निवासी-187 गुरजरो की ढाणी, अरटीया जिला पाली।		1. उम्मेदराम पुत्र बगाराम 2. कमली पुत्री चोखाराम 3. कमली उर्फ सीता पुत्री चोखाराम 4. चीमाराम पुत्र बगाराम 5. जवन्ताराम पुत्र बलुराम 6. नैनाराम पुत्र चौखाराम 7. पपाराम पुत्र चौखाराम 8. माडी देवी पत्नि चोखाराम सभी निवासीगण गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जोधपुर। 9. विनय लोहिया पुत्र ओमप्रकाश लोहिया निवासी मकान संख्या 136 सेक्टर-बी, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार जोधपुर। 10. सुमन पुत्री चोखाराम निवासी गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जोधपुर। 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह।
2. प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से प्रेमकुमार देवड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 अनुपस्थित।

दिनांक:-08.06.2026

:- : निर्णय :-

वादी द्वारा एक राजस्व वाद (19/2024) 2024/76 बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के रेकर्ड सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 13.2656 हैक्टर वाके ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई है जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसमें वादी का 1/12 वां हिस्सा निहित है जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/1736 दिनांक 15.05.2026 को पेश किया गया। वादी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 08.01.2026 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 05.05.2026 को की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1	भीयाराम पुत्र बलुराम जाति विश्नोई सा. गुड़ा विश्नोईयान खातेदार	309	0.9436	बा A	3.02
2	इन्द्रा पत्नि शंकरलाल जाति विश्नोई सा. गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी खातेदार	309	0.1619	बा A	0.52
3	चीमाराम पुत्र बगाराम हिस्सा 1/2 जाति	309	2.2109	बा A	7.10

	विश्वनोई सा. गुडा विश्वनोईयान रहन एसबीआई लूणी, उम्मेदराम पुत्र बगाराम हिस्सा 1/2 जाति विश्वनोई सा. गुडा विश्वनोईयान खातेदार				
4	.विनय लोहिया पुत्र ओमप्रकाश लोहिया जाति माहेश्वरी सा.मकान नं. 136 सेन्टर बी कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना जोधपुर खातेदार	309	4.4218	बा A	14.20
5	माडी देवी पत्नी चौखाराम 1/12 पपाराम पुत्र चोखाराम 5/24 नैनाराम पुत्र चोखाराम 5/24 जवन्ताराम पुत्र बलूराम 1/2 जाति विश्वनोईयान सा. गुडा विश्वनोईयान खातेदार	309	5.5274	बा A	17.74

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

- :: आदेश :: -

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 05.05.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 05.05.2026 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अफिकारी लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई  
 ओर्डर 21 रूल 6,-7 जाब्ता दीवानी  
 अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर  
 पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.  
 राजस्व वाद संख्या : 19/2024 (2024/76)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भीयाराम पुत्र बलुराम विश्णोई निवासी गुड़ा विश्णोईयान तहसील लूणी जोधपुर हाल निवासी-187, गुरजरों की ढाणी, अरटीया जिला पाली।		1. उम्मेदराम पुत्र बगाराम 2. कमली पुत्री चोखाराम 3. कमली उर्फ सीता पुत्री चोखाराम 4. चीमाराम पुत्र बगाराम 5. जवन्ताराम पुत्र बलूराम 6. नैनाराम पुत्र चोखाराम 7. पपाराम पुत्र चोखाराम 8. माडी देवी पत्नि चोखाराम सभी निवासीगण गुड़ा विश्णोईयान तहसील लूणी जोधपुर। 9. विनय लोहिया पुत्र ओमप्रकाश लोहिया निवासी मकान संख्या 136 सेक्टर-बी, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार जोधपुर। 10. सुमन पुत्री चोखाराम निवासी गुड़ा विश्णोईयान तहसील लूणी जोधपुर। 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 05.05.2026 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

निज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह .....  
 ....फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करे।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 08.06.2026 जारी की गई।

सहायक ~~सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी~~ लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिंक मीजान			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिंक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी